उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर(चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 09/2022

1. केशर देवी पत्नि जेठाराम जाति अहीर (यादव) निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान

वादीनी

बनाम

1. गीनू पुत्री बजरंग जाति नाई निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. जेठाराम पुत्र स्व. ज्ञानाराम जाति अहीर (यादव) निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान
3. दुर्गा पुत्री हनुमानमल जाति नाई निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. नोरतमल पुत्र कोजा जाति नाई निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. बरजी देवी पुत्री हनुमानमल जाति नाई निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. रूपचन्द पुत्र कोजा जाति नाई निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. विमला पुत्री कोजा जाति नाई निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. शान्ति देवी पुत्री हनुमानमल जाति नाई निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. सीता देवी पुत्री हुनमानमल जाति नाई निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन हेतु"

उपस्थित :–

1. रघुवीर भांभू एडवोकेट – वास्ते वादीनी
2. सज्जन चोटिया एडवोकेट – वास्ते प्रतिवादी संख्या 2
3. प्रतिवादी संख्या 10– पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 06/10/2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 1212 तादादी 3.2122 हैक्टेयर, वाके रोही बीदासर में स्थित है। जिसमें वादीनी का 5/18 हिस्सा की खातेदारी की भूमि है एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 गीनू का 1/216 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 जेठाराम का 95/216 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 दुर्गा का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 4 नोरतमल का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 बरजी देवी का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 रूपचन्द का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 विमला का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 शान्ति देवी का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 9 सीता देवी का 1/36 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने काफी अरसे पूर्व मौखिक विभाजन किया मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी का खसरा नं. 1212 में पूर्वी ओर कि 5/18 हिस्सा भूमि हिस्सा पांती व बंटवारा में आयी व इसी प्रकार आज दिन कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादीनी एंव प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादीनी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन आपसी तौर पर किया हुआ है तथा अलग अलग सिंवें कायम है परन्तू वादगत खेत कि खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादीनी को कई प्रकार की कानूनी आपतीयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 सिंवों को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादीनी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपने हिस्सा पांती भूमि खातेदारी की विधिवत आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहती है जिसकी वादीनी कानूनी अधिकारी है। वादीनी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों कि खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वो टालम टोल करते रहे। प्रतिवादीगण 1 ता 9 वादगत खेत की सिंव को काटकर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानियां धमकीयां देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेंगे, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने वादीनी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है तथा अवैध निर्माण, रहन, विकय आदि करने पर आमदा व उतारू हो गये। वादीनी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 24/02/2022 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया वादगत खेतों का जब तक विभाजन नहीं हो जाता है जब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिगत विभाजन करवाये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत कि खातेदारी शामीलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता आदि आदि वाद पेश किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 9 विधिवत तामील के बावजुद हाजीर अदालत नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 9 क़े खिलाफ दिनांक 30/06/2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी गयी, प्रतिवादी संख्या 2 कि ओर से दिनांक 12/04/2022 को इकबाल जवाब दिया व कहा की प्रतिवादी संख्या 02 का भी हिस्सा पांति भूमि की खातेदारी अलग दर्ज की जावे व अन्य किसी की ओर से जवाब नहीं दिया गया इस प्रकार जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 10 की और से पेरोकार राज ने प्रकरण में अपने जबाव में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया। कोई जबावदेही नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी की और से अपने साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.—1 वादी स्वयं ने सशपथ बयान किये है व वादीनी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2074—79 जो प्रदर्श— 1 व नक्शा अक्स जो प्रदर्श 2 है पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई जिसमें वकील वादी ने निवेदन किया की प्रस्तूत दस्तावेज प्रदर्श 1 से बखुबी प्रमाणीत है कि वादीनी मुताबिक राजस्व रेकार्ड के 5/18 हिस्सा की खातेदार कृषक है व वादी का खेत खसरा नंबर 1212 तादादी 3.2122 हैक्टेयर वाके रोही बीदासर में वादीनी का हिस्सा व कब्जा काश्त खसरा नंबर 1212 के पूर्वी ओर के हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त काफी अरसा पूर्व से चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 का भी विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज कि जावे। वादीनी का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एंव बाउण्डस के आधार पर किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार 3 पर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई व प्रस्तूत दस्तावेज व वादीनी के बयानों को भली भांती अवलोकन किया जिसे यह प्रमाणीत है कि वादीनी वादगत खेत खसरा संख्या 1212 तादादी 3.2122 है. वाके रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू की में 5/18 हिस्सा की खातेदार कृषक है। वादीनी का वाद इस प्रकार स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचीत है कि वादगत खेत खसरा नं. 1212 तादादी 3.2122 हैक्टेयर वाके रोही बीदासर में वादीनी का हिस्सा 5/18 हिस्सा भूमि में पूर्वी ओर के हिस्सा पृथक कर अलग लगान कायम किया जावे व प्रतिवादी संख्या 2 का भी हिस्सा 95/216 की खातेदारी अलग दर्ज की जानी उचित है इस प्रकार संयुक्त खातेदारी का विभाजन किया जाकर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाना उचित है।

आदेश

वादीनी का वाद प्रारंभिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नं. 1212 तादादी 3.2122 हैक्टेयर वाके रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादीनी केशर देवी पत्नि जेठाराम जाति अहिर (यादव) निवासीनी बीदासर का 5/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 95/216 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज कर अलग–अलग लगान कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे कि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। इस प्रकार प्रारंभिक डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06/10/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर, चूरू

Scanned by CamScanner